उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-91/2015/2802/26-3-2015-रिट(10)/2015

लखनऊः दिनांकः31 अगस्त, 2015

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

श्री इन्द्र मोहन एवं श्री नटवर लाल निवासी-लूकरगंज, इलाहाबाद द्वारा दिनांक-12.07.2012 को जिलाधिकारी, इलाहाबाद को इस आशय का लिखित शिकायती पत्र दिया गया कि जनपद-इलाहाबाद के वार्ड संख्या-20 झूलेलाल नगर के निर्वाचित पार्षद श्री विजय कुमार पुर्सवानी के पक्ष में तहसील-सदर द्वारा 'कोरी' अनुसूचित जाति का निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या-45312402779, दिनांक-31.05.2012 गलत है, जबकि श्री विजय कुमार पुर्सवानी सवर्ण (सिन्धी) व्यक्ति है। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त जाति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने की मांग की गयी।

2- उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुये अपर जिलाधिकारी, प्रशासन इलाहाबाद ने अपने कार्यालय पत्रांक-347/एस.टी.-12, दिनांक-12.07.2012 द्वारा उपजिलाधिकारी, सदर, इलाहाबाद को जाँच करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्क्रम में उपजिलाधिकारी, सदर इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक-12.07.2012 द्वारा तहसीलदार सदर, इलाहाबाद को प्रकरण की जाँच हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार-सदर द्वारा श्री विजय कुमार पुर्सवानी के शैक्षिक अभिलेखों एवं स्थानीय निवासियों के बयान एवं उनकी पत्नी श्रीमती प्रिया देवी के द्वारा सन् 2006 में नगर निगम चुनाव में निर्दलीय प्रत्यासी के रूप में पार्षद पद के चुनाव हेतु भरे गये नामांकन पत्र में अंकित जाति इत्यादि की गहनता से जाँच पड़ताल करने पर श्री विजय कुमार पुर्सवानी की जाति 'कोरी' अनुसूचित जाति न होने की पुष्टि होने पर तहसीलदार, सदर इलाहाबाद के आदेश दिनांक-17.07.2012 द्वारा श्री विजय कुमार पुर्सवानी पुत्र स्व0 हुन्दराजमल, निवासी-148 लूकरगंज, परगना व तहसील सदर,जनपद-इलाहाबाद के पक्ष में निर्गत 'कोरी' अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र संख्या-45312402779, दिनांक-31.05.2012 निरस्त कर दिया गया।

3- तहसीलदार, सदर इलाहाबाद के उक्त आदेश दिनांक-17.07.2012 के विरूद्ध श्री विजय कुमार द्वारा जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी, इलाहाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी ने उभय पक्षो को सुनने के बाद यह पाया कि तहसीलदार सदर इलाहाबाद का उक्त आदेश दिनांक-17.07.2012 को निरस्त करने का कोई अवसर नही है। अतएव जनपदीय कमेटी ने अपने निर्णय दिनांक-24.11.2012 द्वारा श्री विजय कुमार की अपील निरस्त कर दी गयी।

4- जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी के उक्त निर्णय दिनांक-24.11.2012 के विरूद्ध आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय अपीलीय फोरम, इलाहाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु मण्डलीय अपीलीय फोरम की बैठक दिनांक-31.05.2013 को सम्पन्न हुयी। मण्डलीय अपीलीय फोरम की उक्त बैठक जिसका कार्यवृत्त अपर आयुक्त (प्रशासन) इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के पत्रांक-1559 (3)/सात-3-2013, दिनांक-24.06.2013 द्वारा निर्गत हुआ है। उक्त कार्यवृत्त में मण्डलीय अपीलीय फोरम द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अपीलार्थी विजय कुमार के पिता के जन्म का प्रमाण पत्र जो पाकिस्तान से निर्गत है, की पुष्टि पाकिस्तानी दूतावास के माध्यम से करा ली जाय।

5- मण्डलीय अपीलीय फोरम, इलाहाबाद के उक्त निर्णय के क्रम में जिलाधिकारी, इलाहाबाद के पत्र संख्या-4745/स.क./2013-14 दिनांक-30.09.2013, पत्रांक-5648/स.क./2013-14, दिनांक-06.11.2013 एवं पत्रांक-6605/स.क./2013-14, दिनांक-19.12.2013 उच्चायुक्त, पाकिस्तान दूतावास, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया किन्तु सत्यापन रिपोर्ट पाकिस्तानी दूतावास से प्राप्त नहीं हो पायी। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में विपक्षी श्री नटवर लाल भारतीय निवासी-218ए, लूकरगंज इलाहाबाद द्वारा अपर जिला जज, न्यायालय नं0-1, इलाहाबाद के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समक्ष इलेक्शन पिटीशन दाखिल की गयी। उक्त इलेक्शन पिटीशन में पारित आदेश दिनांक-11.10.2013 तथा एक अन्य चुनाव याचिका संख्या-02/12 नटवरलाल भारतीय बनाम विजय कुमार आदि में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-43759/2013 में पारित आदेश दिनांक-03.08.2013 में सम्पूर्ण सुनवाई करने के पश्चात छः माह के अन्दर निस्तारित करने के पारित आदेश के क्रम में मण्डलीय, अपीलीय फोरम, इलाहाबाद द्वारा पुनः दिनांक-23.01.2014 को फोरम की बैठक आहूत की गयी। मण्डलीय अपीलीय फोरम के उक्त बैठक की सूचना अपीलकर्ता एवं विपक्षीगणों को दी गयी थी किन्तु वह अनुपस्थित रहें।

6- मण्डलीय, अपीलीय फोरम, इलाहाबाद द्वारा जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी के आदेश दिनांक-24.11.2012 एवं तहसीलदार सदर के आदेश दिनांक-17.07.2012 एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का परिशीलन किया गया। मण्डलीय अपीलीय फोरम ने अपनी पूर्व बैठक दिनांक-31.05.2013 में अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह बताये जाने पर कि श्री विजय कुमार ने जनपद स्तरीय स्कुटनी कमेटी द्वारा पारित आदेश के क्रम में पाकिस्तान से जारी अपने पिता श्री हुन्दराजमल का दूसरा जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है जिसके अनुसार वादी के पिता की जाति 'कोरी' है। मण्डलीय अपीलीय फोरम में अपनी पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये उसके पिता के जन्म प्रमाण-पत्र (दिनांक-04.12.2012) जो दूसरे देश (सिन्ध प्रान्त पाकिस्तान) से जारी हुआ है, का सत्यापन करा लिया जाय। वादी के पिता के जन्म प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु भारत स्थित नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास से अनेक पत्राचार करने के बावजूद कोई सूचना प्राप्त न होने पर मण्डलीय अपीलीय फोरम, इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों/अभिलेखीय स्थिति पर विचार किया गया।

वादी श्री विजय कुमार द्वारा अपने स्व0 पिता हुन्दराजमल जिनका दूसरा जन्म प्रमाण पत्र पाकिस्तान के सिन्ध प्रान्त से दिनांक-04.12.2012 को उर्दू भाषा में निर्गत हुआ था, का हिन्दी अनुवाद श्रीमती शाहीन फात्मा, उर्दू अनुवादक, कार्यालय उपनिदेशक, समाज कल्याण, इलाहाबाद मण्डल से कराया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि उक्त जन्म प्रमाण पत्र में धर्म का कालम है, परन्तु जाति का कोई कालम नहीं है। पुनश्च अपीलकर्ता के पिता श्री हुन्दराज के नाम के आगे एवं उनके माता-पिता के नाम के आगे उपनाम कोरी का अंकन है, जैसा कि पूर्व में जारी जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक-16.10.2012 (जो कि जिला स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था) में भी अंकित था, बस इसमें नाम एवं उपनाम के बीच जात (जाति) शब्द जोड़ दिया गया है। परन्तु नाम के कालम में अंकित कोरी उपनाम का ही द्योतक है और जाति विनिश्चयन हेतु पर्याप्त साक्ष्य नही है।

मण्डलीय अपीलीय फोरम ने तहसीलदार, सदर, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-17.07.2012 का भी परिशीलन किया जिसमें यह पाया गया कि वार्ड संख्या-20, झूलेलाल नगर, इलाहाबाद के निर्वाचित पार्षद, श्री विजय कुमार पुर्सवानी को 'कोरी' अनुसूचित जाति का जो जाति प्रमाण पत्र संख्या-45312402779 दिनांक-31.05.2012 तहसील, सदर द्वारा निर्गत हुआ वह फर्जी शपथ-पत्र के आधार पर बिना समुचित जांच के जारी किया गया। जिससे उक्त के आधार पर सवर्ण (सिन्धी) व्यक्ति द्वारा फर्जी रूप से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर विधि विरूद्ध तरीके से पार्षद का पद प्राप्त कर लिया गया जबकि तहसीलदार, सदर, इलाहाबाद के द्वारा की गयी स्थलीय जांच में मौके पर उपस्थित श्री विवेक सक्सेना, यश हंगानी, अंशू यादव, शक्ति यादव, अर्जुन दास द्वारा बताया गया कि विजय कुमार पुर्सवानी सिन्धी समाज के कोरी जाति के हैं। लेकिन मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा 'कोरी' जाति होने के सम्बन्ध में कोई लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री विजय कुमार पुर्सवानी की जाति के सत्यापन हेतु सूचना के आधार पर उन विद्यालयों में जांच करायी गयी, जहां पर श्री पुर्सवानी ने शिक्षा ग्रहण की थी। परन्तु शैक्षिक अभिलेखों में भी कहीं 'कोरी' या अनुसूचित जाति का उल्लेख नहीं है, अपितु धर्म 'हिन्दू' एवं जाति 'सिन्धी' अंकित है। वादी श्री विजय कुमार पुर्सवानी द्वारा जाँच अधिकारी के समक्ष यह बयान दर्ज कराया गया कि सन 1947 से पूर्व उनके पूर्वज सिन्ध (वर्तमान में पाकिस्तान) के ग्राम भीडो (संग्रार) तहसील पन्नों आकिल, जिला सक्खर में निवास करते थे। सन 1948 के उपरान्त भारत विभाजन के पश्चात इलाहाबाद में निवास कर रहे हैं तथा 2004 में उनके पिता श्री हुन्दराज के पाकिस्तान जाने पर यह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संज्ञान में आया कि वहां के रेवेन्यू रिकार्ड में उनके पूर्वजों का धर्म 'हिन्दू' तथा जाति 'कोरी' दर्ज है। श्री अनिल कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द्र ने अपने बयान में कहा कि प्रदेश स्तर पर कोरी महासभा पंजीकृत संस्था है, जिसका कोई दस्तावेज इनके द्वारा नही प्रस्तुत किया गया है। वह श्री विजय कुमार को भली भांति जानते है कि उनकी जाति 'कोरी' नहीं है और न ही अनुसूचित जाति की सूची में है। श्री विजय कुमार सिन्धी समाज से सम्बन्धित है, जो सामान्य वर्ग में आते हैं। जाँच अधिकारी के समक्ष श्री विजय कुमार अपने को अनुसूचित जाति (कोरी) होने का कोई पुष्टिकृत अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। विपक्षी की ओर से श्री जगदीश राव अम्बेडकर पुत्र स्व0 रामप्यारे लाल ने अपने बयान में कहा कि श्री विजय कुमार पुर्सवानी एवं उनके आस-पास सिन्धी जाति के लोग निवासित हैं। इनके पास अनुसूचित जाति का कोई साक्ष्य नहीं है, जबकि इनके सिन्धी होने के सम्बन्ध में साक्ष्य है। विपक्षियों द्वारा जाँच अधिकारी के समक्ष यह तथ्य भी प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2006 में अपीलकर्ता श्री विजय कुमार की पत्नी प्रिया देवी ने पार्षद का चुनाव लड़ा और नामांकन पत्र में अपने को सामान्य वर्ग के रूप में दर्शाया था। तहसीलदार, सदर, इलाहाबाद के कार्यालीय अभिलेखों से भी यह पुष्टि हुयी कि श्री विजय कुमार पुर्सवानी ने चुनाव से पूर्व अनुसूचित जाति 'कोरी' होने का दावा नही किया गया है। पार्षद पद के चुनाव के नामांकन के समय 'कोरी' अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करवाया है, जो स्वयं संदेहास्पद है। मण्डलीय अपीलीय फोरम ने यह भी पाया कि अपीलकर्ता श्री विजय कुमार पुर्सवानी द्वारा अपने पिता के दो जन्म प्रमाण पत्र दिनांक-16.10.2012 एवं 04.12.2012 प्रस्तुत किया गया है दोनो के अवलोकन में पाया गया कि दोनो का क्रमांक एक ही है एवं बाद में जारी प्रमाण पत्र में नाम के तीनों (बच्चे, पिता, माता) कालम में नाम एवं उपनाम के बीच 'जात' (जाति) शब्द बढा दिया गया है, जो स्वयं में सन्देहास्पद है। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण मण्डलीय, अपीलीय फोरम, इलाहाबाद ने अपने निर्णय दिनांक-23.01.2014 द्वारा श्री विजय कुमार की उक्त अपील निरस्त कर दी गयी।

7- मण्डलीय अपीलीय फोरम के उक्त निर्णय दिनांक-23.01.2014 के विरूद्ध वादी श्री विजय कुमार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-6934/2014 विजय कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व 03 अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में दिनांक-24.07.2014 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत आदेश पारित किया गया हैः-

The caste certificate issued to the petitioner was cancelled by the Tehsildar, Sadar by an order dated 27 July 2012. The petitioner filed an appeal before the District Level Caste Scrutiny Committee. This appeal was rejected by an order dated 23 January 2014.

A preliminary objection has been raised by the learned standing counsel that the petitioner has a remedy of filing an appeal before the State Level Committee.

Learned counsel for the petitioner has, however, submitted that the time taken by the petitioner in pursuing this petition in this Court may be excluded for the purpose of limitation in filing the second appeal .

As the petitioner has an alternative remedy of filing an appeal before State Level Committee, the Court declines to entertain this petition. It is however provided that the period spent in pursuing this petition shall be excluded in calculating the limitation period for filing the second appeal before the State Level Committee. The petition is dismissed with the aforesaid observations.

8- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-24.07.2014 के क्रम में याची श्री विजय कुमार द्वारा राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी के समक्ष अपील दिनांक-13.10.2014 प्रस्तुत की गयी है। उक्त अपील पर विचार किये जाने हेतु राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी की बैठक दिनांक-13.08.2015 को आहूत की गयी। उक्त बैठक की सूचना जिलाधिकारी, इलाहाबाद के माध्यम से याची श्री विजय कुमार एवं विपक्षी श्री नटवर लाल भारतीय को दी गयी थी। याची श्री विजय कुमार अपने अधिवक्ता के साथ सुनवाई हेतु राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी के समक्ष उपस्थित हुये। उक्त बैठक में विपक्षी श्री नटवर लाल उपस्थित नही हुये। राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी के समक्ष बैठक में श्री विजय कुमार के अधिवक्ता द्वारा भारत की जातिवार जनगणना वर्ष 1931 के खण्ड अपपप पार्ट-। (बाम्बे प्रेसीडेन्सी) की रिपोर्ट की छायाप्रति, पाकिस्तान राष्ट्र के कराची प्रान्त की अधिसूचना दिनांक-12.11.1957

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये पाकिस्तान राष्ट्र के सिन्ध प्रान्त में भी 'कोरी' जाति निवासित होने का दावा किया गया तथा भारत की उक्त जातिगत जनगणना वर्ष 1931 में अविभाजित भारत के सिन्ध प्रान्त में हिन्दू एवं मुस्लिम में 'कोरी' (जुलाहा, मछुआरा) निवासित होने का उल्लेख करते हुये वादी के पिता स्व0 हुन्दराजमल जिनका जन्म स्थान सिन्ध प्रान्त में हुआ था को 'कोरी' अनुसूचित जाति सदस्य होने का दावा पेश किया गया।

राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी में उक्त समस्त तथ्यों/अभिलेखों के परिशीलन में यह पाया कि याची श्री विजय कुमार ने पाकिस्तान के सिन्ध प्रान्त से जारी अपने पिता श्री हुन्दराजमल का दूसरा जन्म प्रमाण पत्र दिनांक-04.12.2012 जो प्रस्तुत किया गया उस पर वादी के पिता का जारी पहला जन्म प्रमाण पत्र दिनांक-16.10.2012 का क्रमांक समान है। उक्त दोनो जन्म प्रमाण पत्रों में धर्म का कालम है परन्तु जाति का कोई कालम नही है। दूसरे जन्म प्रमाण पत्र दिनांक-04.12.2012 में वादी श्री विजय कुमार के पिता स्व0 हुन्दराज के नाम एवं उनके पिता एवं माता के नाम के कालम में ही उपनाम 'कोरी' का अंकन है, जबकि पूर्व में जारी जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक-16.10.2012 में उपनाम अंकित नही था। राज्य स्तरीय समिति ने अपने परीक्षण में यह पाया कि वादी द्वारा अपने पिता का जो दूसरा जन्म प्रमाण पत्र दिनांक-04.12.2012 (पाकिस्तान के सिन्ध प्रान्त से निर्गत) प्रस्तुत किया गया उस पर अंकित क्रमांक/संख्या पूर्व में निर्गत जन्म प्रमाण पत्र की क्रमांक/संख्या दोनो की समान है। दूसरा जन्म प्रमाण पत्र किसी सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय पत्रांक/दिनांक से निर्गत नही है तथा कोई ऐसी प्रविष्टि/टिप्पणी अंकित नही है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि पूर्व में निर्गत जन्म प्रमाण पत्र दिनांक-16.10.2012 का संशोधित प्रमाण पत्र निर्गत दिनांक-04.12.2012 निर्गत हुआ है।

श्री विजय कुमार पुर्सवानी के शैक्षिक अभिलेखो पर भी समिति द्वारा यह विचार किया गया जिसमें यह पाया गया कि श्री विजय कुमार की प्राथमिक शिक्षा (कक्षा-01 से 05 तक) शिक्षा विद्यावती दरबारी बालिका इन्टर कालेज, लूकरगंज, इलाहाबाद से प्राप्त की गयी। उक्त विद्यालय के अभिलेखों में याची श्री विजय कुमार का नाम छात्र पांजिका के क्रमांक-3287 पर दर्ज होना पाया गया तथा उनकी जाति 'सिन्धी' एवं धर्म-हिन्दू अंकित होना पाया गया। राज्य स्तरीय स्क्रुटनी के विवेचन में यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2006 में अपीलकर्ता श्री विजय कुमार की पत्नी श्रीमती प्रिया देवी द्वारा पार्षद का चुनाव लड़ने हेतु भरे गये नामांकन पत्र में अपने को सामान्य वर्ग के रूप में दर्शाया गया था। तहसीलदार, सदर, इलाहाबाद के कार्यालीय अभिलेखों से यह भी पुष्टि हुयी कि याची श्री विजय कुमार द्वारा चुनाव से पूर्व स्वयं को 'कोरी' अनुसूचित जाति होने का कोई दावा नही किया गया है।

9- अतएव उपरोक्त सम्यक्विवेचन के आधार पर राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपीलार्थी श्री विजय कुमार पुत्र स्व0 हुन्दराजमल, निवासी-148 लूकरगंज, परगना व तहसील सदर, जनपद-इलाहाबाद 'कोरी' अनुसूचित जाति के सदस्य नही है। तद्नुसार अपीलार्थी की अपील दिनांक-13.10.2014 को उपरोक्तानुसार एतदद्वारा निस्तारित की जाती है।

देवेन्द्र सिंह शोध अधिकारी, प्रतिनिधि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ	घनाराम निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ	सुनील कुमार प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/अध्यक्ष, राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी उ0प्र0शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-91/2015/2802(1)/26-3-2015 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मण्डलायुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
3. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
4. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
5. श्री विजय कुमार पुत्र स्व0 हुन्दराजमल, निवासी 148 लूकरगंज, परगना व तहसील सदर, जनपद इलाहाबाद।
6. श्री नटवर लाल भारतीय पुत्र स्व0 होरी लाल निवासी-218ए लूकरगंज इलाहाबाद।
7. गार्ड फाईल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।